



क.रा.वी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन", भवानी सिंह रोड़, जयपुर -302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone- 0141-2989581 E-mail : rd-rajasthan@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

e-file No. U-12/1/2022-MED

Date-15.10.2024

कार्यालय आदेश

उप निदेशक (प्रभारी) महोदय ने निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी को मुख्यालय मानक के अनुसार देय मानदेय पर उनके नाम के आगे वर्णित विवरण अनुसार एक वर्ष तक अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी (पीटीएमआर) के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया है तथा यह भी आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी की सेवायें कभी भी बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।

क्र. संख्या	चिकित्साधिकारी का नाम	अवधि	केंद्र का नाम
1	डॉ. मिथुन पटेल	15.10.2024 से एक वर्ष या आगामी आदेशों तक	उदयपुर, बांसवाड़ा कांकरोली
2	डीसीबीओ प्रभारी चित्तोडगढ़	15.10.2024 से एक वर्ष या आगामी आदेशों तक	चित्तोडगढ़
3	डीसीबीओ प्रभारी पाली	15.10.2024 से एक वर्ष या आगामी आदेशों तक	पाली
4	डीसीबीओ प्रभारी जोधपुर	15.10.2024 से एक वर्ष या आगामी आदेशों तक	जोधपुर
5	डॉ. विनोद अग्रवाल	15.10.2024 से एक वर्ष या आगामी आदेशों तक	अलवर एवं भरतपुर
6	डॉ. अमित शालीवाल	15.10.2024 से एक वर्ष या आगामी आदेशों तक	भिवाड़ी

साथ ही सूचित किया जाता है कि डॉ. मैना रेगर, चिकित्सा निर्देशी, जयपुर के अतिरिक्त गुलाबपुरा एवं भीलवाड़ा केंद्र के लिए अधिकृत किया गया है।

भवदीय,

Signed by Raviraj Thagria

Date: 16-10-2024 15:46:58

(राज्य चिकित्सा अधिकारी)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. चिकित्सा आयुक्त (मेड.-1) मुख्यालय, क. रा. बी. निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली।
2. संबन्धित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी (पीटीएमआर)।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ईएसआई योजना), लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
4. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, उदयपुर।
5. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जोधपुर।
6. उप निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।
7. उप निदेशक (हितलाभ शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।
8. सहायक निदेशक (रोकड़ शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।
9. शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, उदयपुर, बांसवाड़ा, कांकरोली, चित्तोडगढ़, पाली, जोधपुर, अलवर, भरतपुर एवं भिवाड़ी को इस निर्देश के साथ कि वे संबन्धित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय एवं आवश्यकतानुसार विजिट संख्या निश्चित करें।
10. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना राजस्थान की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाने के श्रम करें।
11. चिकित्सा निर्देशी/राज्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।